HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 5254/2018

Deependra @ Vinay Gupta S/o Suresh Mohan Gupta, Aged About 40 Years, R/o 3-A-72, Mahaveer Nagar Extension, District Kota (Raj.), Currently Residing At E-103, Shrinath Puram, District Kota (Raj.)

----Appellant/Claimant

Versus

1. Shravan Kumar S/o Jhutharam Jat, R/o Rampura Daabadi, Police Station- Chomu, District Jaipur (Raj.).
2. Vinod Kumar Sharma S/o Mohan Lal Sharma, R/o Jaalsu, Tehsil- Amer, Police Station- Kaladera, District Jaipur (Raj.)
   (Registered Owner Of Vehicle).
3. Ravi Kumar Khandelwal S/o Sitaram Khandelwal, R/o- 2705, Jat Ka Kuan Ka Rasta, Chandpol Bazaar, District Jaipur (Raj.) (Insured).
4. Kaluram S/o Shyolaram Jat, R/o Jaalsu, Tehsil- Amer, Police Station- Kaladera, District Jaipur (Raj.) (Power Of Attorney Holder).
5. Iffco Tokio General Insurance Company Limited, Iffco House, Nehru Palace, New Delhi, Through Iffco Tokio General Insurance Company, Branch Office, Kota.

----Respondents/Non-Claimants

For Appellant(s)	:	Mr. Akshay Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudhanshu Rajawat, Adv. with Mr. Rishi Raj Singh, Adv. & Mr. Vikas Gurjar, Adv. for Mr. Deepak Chauhan, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

11/05/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय **मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम–2, कोटा** (जिसे

आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–26/2018, दीपेन्द्र उर्फ विनय बनाम श्रवण व अन्य** में पारित निर्णय **दिनांक 07.07.2018** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 9,46,58,920/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को **कुल 82,38,826/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **7.5 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य वृद्धि नहीं की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी एजुकेशनल कंसलटेंसी का कार्य कर 9,08,195/– रुपये वार्षिक आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 100 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :–

- **Abhimanyu Pratap Singh Vs. Namita Sekhon & Anr.** reported in **2022(8) SCC 489**
- **Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr.** reported in **2025 SCC Online SC 276**

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये

जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :–

- **Sri Anthony @ Anthony Swamy Vs. The Managing Director, K.S.R.T.C., Civil Appeal No(s). 2551/2020 (Arising Out of SLP (Civil) No(s). 1738/2018, Decided on 10 June, 2020)**

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 100 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–184 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the

> tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 25.04.2011 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 32 वर्ष की आयु का होना बताते हुए एजुकेशनल कंसलटेंसी का कार्य कर 9,08,195/– रुपये की वार्षिक आय अर्जित करना बताया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष स्वयं की आयकर विवरणिकाएं प्रस्तुत की गईं, जिनमें प्रदर्श–179 (वित्तीय वर्ष 2008–09 कर निर्धारण वर्ष 2009–10) में उसकी कुल आय 4,51,841/– रुपये, प्रदर्श–180 (वित्तीय वर्ष 2009–10 कर निर्धारण वर्ष 2010–11) में उसकी कुल आय 4,65,429/– रुपये, प्रदर्श–181 (वित्तीय वर्ष 2010–11 कर निर्धारण वर्ष 2011–12) में उसकी कुल आय 4,73,696/– रुपये होना बताया गया है। साथ ही अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण वर्ष 2014–15 व 2015–16 की आयकर विवरणिकाएं भी प्रस्तुत की गईं, किंतु उक्त दोनों आयकर विवरणिकाओं में उसकी वार्षिक आय शून्य दिखाई गई है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा दुर्घटना दिनांक 25.04.2011 की होने के कारण दुर्घटना से ठीक पूर्व की आयकर विवरणिका प्रदर्श–181 (वित्तीय वर्ष 2010–11 कर निर्धारण वर्ष 2011–12) को आधार मानकर उक्त आयकर विवरणिका में अंकित सकल वार्षिक आय 4,00,703/– रुपये में से कुल आयकर कटौती की राशि 14,492/– रुपये को घटाते हुए वक्त घटना अपीलार्थी की **वार्षिक आय 3,86,211/– रुपये** निर्धारित की गई है। अतः वार्षिक आय के संबंध में विद्वान अधिकरण द्वारा निकाले गये उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। इस प्रकार अपीलार्थी की वार्षिक आय 3,86,211/– रुपये माना जाना उचित है। विद्वान

अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य में होने वाली आय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को 32 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी होना माना गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित वार्षिक आय 3,86,211/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत** (1,54,484/– रुपये) की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपीलार्थी की कुल **शुद्ध वार्षिक आय 5,40,695/– रुपये** होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के शरीर के विभिन्न भागों में रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी के कमर का नीचे वाला हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका है। अपीलार्थी के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 100 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श–184 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी की 100 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर आय की क्षति भी 100 प्रतिशत ही मानी है। अतः अपीलार्थी को 100 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम भी अपीलार्थी को आय की क्षति 100 प्रतिशत होना पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की वार्षिक आय 5,40,695/– रुपये का 100 प्रतिशत 5,40,695/– रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की वार्षिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 31 से 35 वर्ष के मध्य होना जाहिर है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **16 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार

अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **5,40,695 x 16 = 86,51,120/– रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को मेडिकल बिलों की मद में 12,98,450/– रुपये, 22 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 11,000/– रुपये, परिवहन व्यय व पौष्टिक आहार की मद में संयुक्त रूप से 50,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है। अतः उक्त मदों में दिलवाई गई राशि में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भविष्य उपचार खर्च तथा परिचारक/सहायक की मद में एकमुश्त 7,00,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है। उक्त राशि को हम शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में, भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी की मद में, भविष्य उपचार खर्च की मद में तथा परिचारक/सहायक की मद में आंका जाना उचित समझते हैं।

11. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि**
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में	86,51,120/– रुपये
2.	मेडिकल बिलों की मद में	12,98,450/– रुपये
3.	22 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	11,000/– रूपये
4.	परिवहन व्यय तथा पौष्टिक आहार की मद में	50,000/– रुपये
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी, भविष्य उपचार खर्च तथा परिचायक/सहायक की मद में	7,00,000/– रुपये
6.	**इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि**	**1,07,10,570/– रुपये**
7.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	82,38,826/– रुपये
8.	**बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर**	**24,71,744/– रुपये**

12. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **82,38,826/– रूपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **1,07,10,570/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

13. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

14. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

15. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

16. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

KESHAV VERMA /17